संख्या-83/2019/2895/22-2-2019-17(458)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2020**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नासर पुत्र श्री तुलसीराम धीमर, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33677/प्रोबे0अनु0(2)/सला0समिति/(एम 28-08-2019) दिनांक 19.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नासर पुत्र श्री तुलसीराम धीमर, जो गढी नगला, मजरा सुल्तानगंज खरेटा, थाना-शमाशाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। दिनांक 23.12.1998 को बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश के कारण अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-164/1999 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश(कोर्ट सं0-2), फर्रूखाबाद के आदेश दिनांक 13.09.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2008 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 10.09.2019 तक 20 वर्ष 08 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 11 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर की आख्या के अन्तर्गत बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने एवं बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पत्र दिनांक 20.08.19 में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी की पत्रावली मा0 उच्च न्यायालय प्रेषित की गयी है जो वापस प्राप्त नहीं हुई है। अत: पत्रावली के अभाव में कोई अभिमत दिया जाना संभव नहीं है।

3- उक्त के दृष्टिगत सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ व सशक्त है, बन्दी की समयपूर्व रिहाई के उपरान्त कोई भी घटना घटित हो सकती है। बन्दी तथा उसके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विपक्षियों के मध्य विवाद अभी पूर्ण रूप से शान्त नहीं हुआ है। बन्दी की समयपूर्व रिहाई की दशा में मृतक के सम्बन्धियों में बदले की भावना उत्पन्न होने, जान-माल का खतरा बना रहने, बन्दी की गतिविधियां अपराधिक होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निहित 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नासर पुत्र श्री तुलसीराम धीमर को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी **नासर (बन्दी संख्या-14545) पुत्र श्री तुलसीराम धीमर, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद** की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-83/2019/2895(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।